भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1257

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के लिए फोरम/आयोग

1257. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भूमि अधिग्रहण, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राज्य से संबंधित विभिन्न अन्य समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए इस्पात क्षेत्र के लिए एक अलग मंच/आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसे मंच/ आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ख) क्या सरकार का इस्पात क्षेत्र के लिए एक विनियामक आयोग स्थापित करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): सरकार का इस्पात क्षेत्र के लिए कोई अलग फोरम/आयोग अथवा कोई विनियामक आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

****